

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2386

जिसका उत्तर, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ, 1941 (शक) को दिया गया

एमएसएमई को संपार्श्विकता-मुक्त ऋण

2386. डॉ॰ सुजय विखे पाटील:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पचास लाख रुपये तक की राशि के संपार्श्विकता-मुक्त (कोलैटरल-फ्री) ऋण शुरू करने का विचार रखती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार एमएसएमई को उनकी मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए ऋणों पर राजसहायता प्रदान कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या उक्त राजसहायता देश के सभी क्षेत्रों में उद्यमों और प्रतिष्ठानों को प्रदान की जा रही है या यह क्षेत्र और उत्पादों मात्र से संबंधित इकाइयों के लिए सीमित है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र की इकाइयों को 10 लाख रुपए तक का संपार्श्विक रहित ऋण प्रदान करने हेतु अधिदेशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई), सूक्ष्म तथा लघु उद्यम हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के उन्हें मुहैया कराए जाने वाले 200 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए गारंटी प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) से (ङ.): सरकार पूरे देश में ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) तथा संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) इत्यादि, जैसी योजनाओं का परिचालन करती है। ये एमएसएमई द्वारा योजनाओं के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट उत्पादों/क्षेत्रों/भाग (सेगमेंट) हेतु उपकरणों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त संस्थागत वित्त पर पूंजी सब्सिडी प्रदान करती हैं।

1 करोड़ रुपए तक की सभी कार्यशील पूंजी अथवा सावधि ऋण (नए तथा वृद्धिशील) पर सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधारकर्ताओं हेतु ब्याज सहायता योजना, 2018 का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो 2 प्रतिशत प्रति वर्ष पर परिकलित ब्याज सहायता मुहैया कराती है। इसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु लिया गया ऋण भी शामिल है।

\*\*\*\*\*